प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ....**2022**..............
2. प्र.इ.रि.सं.......131/**2022**.............. दिनांक 14/4/2022

   (I) *अधिनियम –**भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2018** धारा –**7**, 7A, 8,12

   (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – ....–......................120बी..............................

   (III) * अधिनियम..............................–.............................. धाराएं.....................–..........................

   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–..

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....264.......समय...........7.00 P.M.......

   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– दिनांक 30.09.2021 से दिनांक 12.04.2022 तक

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – दिनांक 30.09.2021

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – सूत्र सूचना अन्तावरोध प्रणाली
5. घटनास्थल :–बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।

   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – उत्तर पूर्व, 141 कि.मी.

   (ब) पता – बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।

   (स) बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं..........................

   (द) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–.............................

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–

   (अ) नाम – **जरिये सरकार श्री पारसमल**

   (ब) पिता/पति का नाम –

   (स) जन्म तिथि/आयु –

   (द) राष्ट्रीयता –

   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....

   (र) पेशा –

   (ल) पता – **उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो इन्टे. अजमेर।**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

1. श्री सुरेन्द्र सिह पुत्रश्री इन्द्रसिह राठौड निवासी मकान नम्बर 32 सेण्ट्रल स्कूल एकेडमी के पास तारा नगर यमूनापथ झोटवाडा जयपुर हाल CEO ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग बायोफ्यूल प्राधिकरण जयपुर।

2 श्री मनिन्दर जीत सिह बहल पुत्रश्री के.एस. बहल निवासी मकान नम्बर 6 ख 19 जवाहर नगर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के पास, जयपुर हाल डिप्टी सीईओ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग बायोफ्यूल प्राधिकरण जयपुर।

3 श्री अजय गुप्ता पुत्रश्री गया लाल गुप्ता निवासी मकान नम्बर 2 क 8 हाउसिग बोर्ड शास्त्री नगर जयपुर हाल एसीईओ (MIS) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग बायोफ्यूल प्राधिकरण जयपुर।

4. श्री निम्बाराम पुत्रश्री भगवानाराम निवासी देवासियों का वास नानण बिलाडा जोधपुर हाल मैसर्स गुंजन बायो एन्टरप्राईजेज अर्जुनपुरा खालसा तहसील पीसागन जिला अजमेर।

5. श्री गौरांग रमेश चन्द शाह निदेशक मैसर्स कोटियार्क इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड एफ–86 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया स्वरूपगंज पिण्डवाडा जिला सिरोही।

6. अन्तावरोध वार्ताओं के अनुसार बायो फ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के अधिकारी/कर्मचारी व अन्य

08. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**

09. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना

लगाये)......

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य 5 लाख रूपये रिश्वत राशि मांग।

11. पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि **श्री श्याम प्रकाश कानिस्टेबल 316 भ्र.नि. ब्यूरो स्पेशल यूनिट, अजमेर ने मुझ उप अधीक्षक पुलिस पारसमल को सूचना दी कि राजस्थान के अन्दर बायो–डीजल क्षेत्र में बहुत अधिक भ्रष्टाचार किया जा रहा है।** राजस्थान के बायो फ्यूल प्राधिकरण के सीईओ श्री सुरेन्द्र सिह राठौड द्वारा बायो फ्यूल पम्प संचालन हेतु लाईसेस जारी करने तथा पम्प संचालकों एव बायो फ्यूल सप्लायरों को अवैध रूप से संरक्षण देने हेतु दलालों के माध्यम से रिश्वत प्राप्त की जाती है। उक्त दलालों में मुख्य रूप से श्री निम्बाराम संचालक गुंजन बायो फ्यूल पम्प अर्जुनपुरा अजमेर के माध्यम से श्री सुरेन्द्र सिह राठौड द्वारा पम्प संचालकों व सप्लायरों से मिलीभगत कर रिश्वत प्राप्त की जाती है। उपरोक्त गोपनीय सूचना के आधार पर मन उप अधीक्षक द्वारा श्री श्याम प्रकाश कानिस्टेबल के माध्यम से मालूमात की गई तो ज्ञात पाया कि राजस्थान में बायो फ्यूल पम्प संचालन हेतु लाईसेस जारी करने तथा बायो फ्यूल रिफायनरी व सप्लायर फर्मो के संचालन पर नियंत्रण के लिए बायो फ्यूल प्राधिकरण अधिकृत है तथा सुरेन्द्र सिह राठौड उक्त प्राधिकरण का सीईओ है। प्राधिकरण की कार्य प्रणाली के विषय में गोपनीय मालूमात से ज्ञात आया कि बायो फ्यूल पम्प संचालन के लिए लाईसेस प्राप्त करने की लिए बायो फ्यूल विनिर्माता/सप्लायर फर्म से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। श्री निम्बाराम द्वारा सुरेन्द्र सिह राठौड के दलाल के रूप में कार्य करते हुए बायो फ्यूल पम्प संचालन के लिए लाईसेंस के आवेदकों से सुरेन्द्र सिह राठौड के लिए रिश्वत प्राप्त की जाती है तथा विनिर्माता/सप्लायर फर्म से भी सम्पर्क कर अनुमोदन की प्रकिया करवाने में सहयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए निम्बाराम द्वारा सुरेन्द्र सिह राठौड से व पम्प संचालक व सप्लायर फर्मो से व्यक्तिगत मिलकर तथा टेलीफोन द्वारा वार्ता व वॉटसएप के माध्यम से सूचनाओ का आदान प्रदान किया जाता है, इस कार्य में निम्बाराम द्वारा अपने सहयोगी आशिष के माध्यम से भी कार्य किया जाता है। मालूमात से श्री निम्बाराम देवासी के मोबाइल नम्बर 86195–61752 तथा श्री आशिष कुमार के मोबाइल नम्बर 92140–73126 इस कार्य हेतु उपयोग में आना ज्ञात आने पर उपरोक्त दोनो नम्बरो को ब्यूरो मुख्यालय के माध्यम से निर्धारित प्रकियानुसार सक्षम प्राधिकारिता से अनुमति लेकर अन्तावरोध पर लिया जाकर मन उप अधीक्षक व श्री श्याम प्रकाश कानि. द्वारा सुनना प्रारम्भ किया गया। जिससे गोपनीय सूचना की पुष्टि हुई। उपरोक्तानुसार वार्ता श्रवण के आधार पर संदिग्ध पाये जाने पर श्री नरपत पम्प संचालक के मोबाइल नम्बर 9571061718, 9829293800, श्री सुरेन्द्र सिह राठौड सीईओ के मोबाइल नम्बर 94140–35798, श्री मनिन्दरजीत सिह डिप्टी सीईओ के मोबाइल नम्बर 98291–36200, श्री अजय गुप्ता एसीईओ के मोबाइल नम्बर 94143–13190, श्री सत्यनारायण सैनी संचालक रिफायनरी **कुसुम पेट्रो केमिकल्स** के मोबाइल नम्बर 99509–94824 को भी ब्यूरो मुख्यालय के माध्यम से निर्धारित प्रकियानुसार सक्षम प्राधिकारिता से अनुमति लेकर अन्तावरोध पर लिया जाकर सुनना प्रारम्भ किया गया।

उपरोक्त वार्ता श्रवण के आधार पर गोपनीय सूचना के तथ्यों की पुष्टि हुई जिसमें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण वार्ताए निम्न प्रकार वर्णित है :–

1. **दिनांक 23.10.21 समय 13:55:05 पर सुरेन्द्र सिह द्वारा अपने मोबाइल न. 94140–35798 से दलाल निम्बाराम के मोबाइल नम्बर 86195–61752 पर फोन किया गया। उक्त दोनो व्यक्तियो** के मध्य हुई वार्ता में **सुरेन्द्र सिह निम्बाराम को विभागीय छापेमारी कार्यवाही की पूर्व सूचना**

देता है तथा कहता है कि आज क्या है कि जीएसटी का छापा पडा है, चारो तरह तब निम्बाराम कहता है हॉ चारो तरफ मेरे भी आया मैं वहां से निकल गया ओर पहुचने वाला हूं, सुरेन्द्र सिह कहता है कि तुम्हारे तो कोई दिक्कत नही है लेकिन मेरे नोलेज में है मैं तुम्हें बताना भुलगया, ध्यान रखना अभी थोडा सा अपने लोगों को भी लेकर गये है साथ में अपनी वाली टीम तो जयपुर में कार्यवाही कर रही है, भीलवाडा में नासिर धक्के चढ गया तब निम्बाराम कहता है कि मैं आ गया घर पर हूं। (नासिर पंप संचालक भीलवाडा) । इस प्रकार सुरेन्द्र सिह द्वारा दलाल निम्बाराम को विभागीय छापे मारी की पूर्व सूचना दिया जाकर चेकिंग से बचाना प्रकट होता है।

2. दिनांक 16.1.22 समय 15:57:46 पर दलाल निम्बाराम के मोबाइल नम्बर **86195–61752** एवं आशीष के मोबाइल नम्बर **92140–73126** पर हुई वार्तानुसार **निम्बाराम कहता है, कि बीने कह दियो वे आवे दोनो न उन दोनों को कह दो लेकर आवे खाली हाथ नही आवे, तब आशीष कहता है, कि कह दिया कह दिया। उक्त वार्ता से निम्बाराम का आशिष के माध्यम से दलाली का कार्य करना प्रकट होता है।**

3. दिनांक 02.02.22 समय 04:34:17 पर निम्बाराम के मोबाइल नं0 **86195–61752** और अभिषेक के मोबाइल नं0 **86192–88380 पर हुई वार्ता में निम्बाराम अभिषेक से कहता है तुमनें जो हिसाब भेजा जनवरी का, तब अभिषेक हॉ भरता है निम्बाराम कहता है कि वो मारे पाछो भेज वो मारे डिलेट हो गयो या क्या हुआ मैं ऑफिस में बैठे थोडा हाथो हाथ ही भेज दे। इस पर अभिषेक द्वारा वापस हिसाब हाथों हाथ भेजने का कहा जाता है।**

4. दिनांक 3.3.2022 समय 11:30:27 ए.एम पर सत्यनारायण के मोबाइल नम्बर 99509–94824 एवं निम्बाराम के मोबाइल नम्बर 86195–61752 पर हुई वार्तानुसार सत्यनारायण कहता है कि अपन शाम को कर लेगे मैं अजमेर आ गया, आ रहा हूं, तब निम्बाराम कहता है कि मैं आफिस हूं अपने तब सत्यनारायण कहता है कि हॉ तो आफिस ही हो न तो लिस्ट बनवा लो **93 हजार लीटर तो शायद जनवरी का है इसमें किता है शायद 2 लाख है या किता है तब निम्बा राम कहता है जो भी है तब सैनी कहता है कि 2 रूपये के हिसाब से साहब को तो फ्री करो** तब निम्बा कहता है बिटू वाला तब सैनी कहता है बिटू वाला हिसाब बना के ले जाओ, तब निम्बाराम कहता है कि थे तो डलवा रिया हो कल कह दिया मैने अभी डाल देई तब सैनी कहता कि अभी केश नही है न, कल परसो फिर पहुँचा देगे न हिसाब बना कर ले जाओ 3 या गाडी चार है, 3 रूपये के हिसाब से बनवाकर ले जाओ तब निम्बाराम कहता है कि मैने बता दिया रात को, आगे वार्ता में सैनी, साहब को बताने की कहता कि शाम सुबह में सैनी जी नहीं पहुँचे। सुबह शाम में यह भी आपके घर पहुँचा दूंगा। तब निम्बाराम पुछता है कि कहां हो, सैनी कहता है कि अजमेर हूं, **थोडा भाई एक बार साहब को तो फ्री करे न अपन जनवरी–फरवरी का 2 के हिसाब से 5 लाख, 5.50 लाख जो भी बनता है। उपरोक्त बिन्दु संख्या 3,4 व 5 की वार्ताओं से निम्बाराम द्वारा श्री सुरेन्द्र राठौड के लिए कमीशन के रूप में बायो फ्यूल संचालकों/सप्लायरों से रिश्वत राशि एकत्रित करने की पुष्टि होती है।**

5. दिनांक 06.12.21 समय 13:10:24 पर को दलाल निम्बाराम द्वारा अपने मोबाइल नम्बर **86195–61752** से सत्यनारायण सैनी के अकाउण्टेंट अभिषेक मिश्रा के मोबाइल नम्बर 86192–88380 पर फोन किया। निम्बाराम व अभिषेक मिश्रा के मध्य हुई वार्ता मे निम्बाराम दलाल 20 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग करता है तथा सुरेन्द्र सिह के घर, फार्म हाऊस पर हुए निर्माण कार्य के खर्च के संबंध में बताता है। वार्ता अनुसार निम्बाराम पूछता है कि भाई साहब कब गये गोवा। तब अभिषेक कहता है कल गये है। तब निम्बाराम पूछता है

वापस। अभिषेक बताता है कि 10 की रात को आयेगे, 11 को ही मिलेगे। निम्बाराम कहता है भेज दो यार फाईल तो भेजो। अभिषेक कहता है अभी दारा आ जाये तो खुद ही जाऊ। तब निम्बाराम कहता है ओर पेमेन्ट डालो हो सके कल साहब को भेजना पडेगा। अभिषेक कहता है अच्छा, बता देना आप, निम्बाराम कहता है मैं आऊगा कल शायद भाई साहब से बात कर लेना आज। **अभिषेक कहता है मैं कर लूंगा। आगे वार्ता में निम्बाराम कहता है कि मेरे क्या है सामान, ईटे, ब्लोक एक बार कम्पलिट सभी का हिसाब करना है, काफी काम हो गया। जिस पर अभिषेक कहता ठीक है भाई साहब ठीक। निम्बाराम कहता है घणों काम हो गया, 12–13 लाख से ज्यादा हो गया। 20 लाख की जरूरत पड सकती है कल ठीक है। कह देना की नेम जी ने कहा है। इस वार्ता से निम्बाराम द्वारा दलाल के रूप में सुरेन्द्र सिह राठौड के लिए बायो फ्यूल फर्म से संबंधितों से रिश्वत राशि एकत्रित करने की पुष्टि होती है।**

6. दिनांक 29.10.21 समय 14:51:27 पी.एम. पर दलाल निम्बाराम द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 86195–61752 से आशिष दोसाया के मोबाइल नम्बर 92140–73126 पर फोन किया गया। उक्त दोनो व्यक्तियो के मध्य **कोटियार्क** इण्डस्ट्रीज के मालिक गोरान को नोटिस जारी करने के संबंध में सुरेन्द्र सिह सीईओ द्वारा अपने दलाल आशिष से सलाह लेता है। वार्ता अनुसार दलाल निम्बाराम अपना फोन दलाल आशिष को लगाकर सुरेन्द्र सिह दे कर वार्ता करवाता है जिसमें आशिष कहता है कि मैने तो जो सुना है वो बता रहा हूं 2 डायरेक्टर ओर डाले है नये तब सुरेन्द्र सिह कहता वो तो इसकी वाईफ ओर बेटा है। तब आशिष कहता है कि वाईफ ओर बेटा है इसके अलावा निचे 2 ओर है। तब सुरेन्द्र सिह कहता है हॉ 2 ओर डाले है। तब आशिष कहता है कि सुनने में आ रहा है कि ये अब उनको आगे रखेगा, ओर जो भी है प्रमोटर जब इनका शेयर पूरा हो जायेगा अब यह खुद बेक में चला जायेगा, मैं सुनी सुनाई कहा रहा हूं, सुरेन्द्र सिह कहता है यह सचाई है, अब अपन को एक नोटिस तो जारी कर देना चाहिए अपने को न। तब आशिष कहता जी हूकुम। **सुरेन्द्र सिह दुबारा कहता है अपन को नोटिस तो जारी कर ही देना चाहिए न। तब आशिष बताता है कि इसने डायरेक्टर में भी चेंज किया है हूकूम, बगैर आपको पूछे। तब सुरेन्द्र सिह कहता है अपने को बिना इन्टीमेशन किया है। आगे वार्ता में सुरेन्द्र सिह कहता है कि मैं आज ही जारी कर देता हूं। आशिष हॉ कहता है। इस वार्ता से सुरेन्द्र सिह, निम्बाराम व आशिष द्वारा मिलीभगत कर फर्म कोटियार्क इण्डस्ट्रीज में हिस्सेदारी में चाहे अनुसार कार्य न करने पर सुरेन्द्र सिह द्वारा फर्म को नोटिस जारी करने के तथ्य है, जिससे प्रकट होता है कि उक्त निम्बाराम व सुरेन्द्र सिह द्वारा फर्मो को अपने चाहे अनुसार कार्य करने हेतु विवश करने के लिए सुरेन्द्र सिह के पद का दुरूपयोग करना प्रकट होता है।**

7. दिनांक 23.10.21 समय 16:49:14 पी.एम. पर विक्रम सिह रावत द्वारा अपने मोबाइल न. 97998–96607 से दलाल निम्बाराम के मोबाइल न. 86195–61752 पर फोन किया गया। उक्त दोनो व्यक्ति के मध्य हुई वार्ता निम्बाराम द्वारा प्राईवेट व्यक्ति को चेंकिग पर आये कर्मचारियो को दस–बीस हजार रूपये रिश्वत राशि देने के बारे में वार्ता करता है। वार्ता अनुसार पम्प कर्मचारी/प्राईवेट व्यक्ति कहता है कि रूपाली पर रोटी खिलादी पंचनामों दे दियो, विजिट फाईल भिजवानी है। सोफ्ट कापी व पेनड्राईव में 3.26 का कोई आईटीसी बोल रहे है। पम्प को निल कर दूंगा, बिल बाकी है। तब निम्बाराम कहता है कि बिल निकलवा दो ओर दस–बीस हजार दिये नही क्या। तब कर्मचारी पूछता है कि काई का तब निम्बाराम 10–20 हजार रूपये देने की कहता है तथा पैसे हाथ में पकडवाने की कहता है कि वास्तविक कोई कमी होगी तो बोलेगा नही, कर्मचारी कहता है कि बोलेगा नही ओर आगे अपने को सूचना कर देगा। **निम्बाराम कहता है कि 10–20 हजार से अपन मर नही जायेगे, अपना काम तो ऐसे ही चलेगा। अपन कौन सा बिल निकालेगे, थोडा दिपावली का खर्चा पानी रिश्वत देने की**

कहता है। प्रेम से साहब यह तो दिवाली का है पकडना ही पडेगा। पम्प कर्मचारी सहमति देता है। उक्त वार्ता से निम्बाराम का लोक सेवकों को चेकिंग में राहत देने के लिए रिश्वत देने के तथ्य प्रकट होते है।

8. दिनांक 01.12.21 समय 16:35:28 पी.एम. पर दलाल निम्बाराम द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 86195–61752 से सत्यनारायण सेनी के मोबाइल न. 99509–94824 पर फोन किया गया। उक्त दोनो व्यक्तियो के मध्य हुई वार्ता में एक करोड के बिल एवं 10 लाख लीटर सेल के संबंध में वार्ता करता है। वार्ता अनुसार निम्बाराम कहता है कि इसमें आपने लीटर नही लिखा है खाली रेटे पैसे ही लिखा है। सत्यनारायण कहता है देखो सुनो मेरी बात एक्चूएल में क्या है टेली का हिसाब आता है न इसी तरीके से आता है अगर आपको चाहिए तो कल हाथ से लिखकर दे देगे, वो लीटर के लिए तो एक–एक बिल अलग अलग भेजना पडता है। तब **निम्बाराम कहता है अच्छा अच्छा आगे वार्ता में कहता है कि 01 करोड का बिल है तो 10 लाख लीटर है कुल मिलाकर। सत्यनारायण कहता है मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए,** आगे दोनो रेट के संबंध में एवं माल खरीद फरोख्त के संबंध में वार्ता करते। आगे वार्ता में सत्यनारायण कहता है कि हिसाब में कभी चिटिग नही होनी चाहिए तब निम्बाराम कहता है कि आपका तो मेरे को ध्यान है तब सत्यनारायण कहता है कि **साहब सब पे इता विश्वास करते है खुल्ला छोड रखा है। निम्बाराम कहता है पूरा विश्वास है। आगे वार्ता में सत्यनारायण कहता है नही पडता है तो 2–4 लाख रूपये साहब से ही मांग लो साहब इस महिने में लाख रूपये कम दे रहा हूं, साहब थोडी मना करेगे। उक्त वार्ता से निम्बाराम का सुरेन्द्र सिह राठौड का रिश्वती लेन देन में पूर्ण विश्वास पात्र होना प्रकट होता है।**

9. दिनांक 25.1.22 को समय 07.:23:.08 पीएम पर दलाल निम्बाराम के मोबाइल नम्बर **86195–61752** और कोटियार्क इडंस्ट्री के मालिक गौरांग के मोबाइल नम्बर 9978967722 के पर हुई वार्तानुसार निम्बाराम कहता है, सर नमस्कार, और कहता है, कि राजवीरसिंह जी की कोई फाईल हो तो हो तो लगवाओ न तब गौरांग पूछता है, किसकी। तब निम्बाराम कहता है, **कि शेखावत जी वाले, उदयपुर वाले** । इसी क्रम में आगे वार्ता में निम्बाराम कहता है, कि नही मेरे उसमें तो पुरे हो गये, **ओर शेखावत जी कह रहे गौरांग जी के पडे है,तो कहा कि मेरे नजदीक रहेगा, तब गौरांग कहता है, उनको बात तो की है,** मेरा **बोला हुआ है, कागज चाहिये मै दे दूंगा।** तब निम्बाराम कहता है, कि वो बोल रहे थे कि साहब से मिलाओ तो मैने कहा आ जाना मिला दूंगा, फिर मैने साहब से बात करी मै, **मैने कहा शेखावत जी को लाईसेंस चाहिये तब कहा कि गौरांग को कह देना, तब गौरांग कहता है ठीक है।**

10. दिनांक 26.01.2022 समय 18:13:11 पर दलाल निम्बाराम द्वारा अपने मोबाइल नम्बर **86195–61752 से सुरेन्द्र सिह के मोबाइल नम्बर 94140–35798 पर फोन किया गया।** दलाल निम्बाराम ओर लोक सेवक सुरेन्द्र सिह के मध्य मोबाइल पर हुई वार्ता अनुसार सुरेन्द्र सिह निम्बाराम को कहता है कि शेखावत जी वाला क्यो रख गया। मेरा मन नही है। मैं कुछ नही करूगां इसमें तब निम्बाराम कहता है अच्छा अच्छा, सुरेन्द्र सिह कहता है कि देख लिया मैने दुनियादारी सब ऐसे ही है कुछ मतलब नही है इन चीजों का। तब निम्बाराम कहता है अच्छा अच्छा, **सुरेन्द्र सिह कहता है कि वो वापस कर दो उसको मुझे नही चाहिए, मुझे तो अभी बताया तेरी मम्मी ने, नही करेगे। आगे वार्ता में श्री सुरेन्द्र सिह कहता है कि शेखावत जी को कहना, माफी चाहते है हम नही करेगे। तब निम्बाराम कहता है कि शेखावत जी ने तो यह कहा कि साहब गोरान से बात हुई है। तब सुरेन्द्र सिह कहता है कि अपने को तो 5 बताये ओर 4 रखकर गया है** अभद्र भाषा का प्रयोग .....तब निम्बाराम कहता है कि पहले तो उसका

काका है न वो तो मना कर दिया की मेरे को तो नही चाहिए फिर गौरान से बात की तब गौरान ने उसको कहा कि आप लोगे क्या तब उसने कहा मैं तो लूंगा पूरा पूरा। सुरेन्द्र सिह हामी भरता है निम्बाराम कहता है कि तब मैने कहा कि गौरान जी यह मत कहना की साहब की हम दे रहे है। बिलकुल भी बात नही की कि मामला इस शेखावत का खुद का नही है। सुरेन्द्र सिह हॉ कहता है। आगे वार्ता में निम्बाराम कहता है कि फिर मैने कहा कि तू मेरी रिफायनरी का लाईसेस लेगा या नही या परसो आऊ मैं, तो तब तू बात कर लेना, मैने कहा पन्द्रह का तेरे को देगे,तू डाईवर्ट कर देना। आगे वार्ता में **सुरेन्द्र सिह कहता है कि तू तेरे कर ले।** निम्बाराम कहता है हॉ हॉ। सुरेन्द्र सिह कहता है हॉ सही है। निम्बाराम कहता है कि जब मैने कहा कि **डाक्टर ने भेजे है** तब मैने कहा दे दे फर्म पर। सुरेन्द्र सिह हॉ कहता है। निम्बाराम कहता है कि तू मेरे को दे दे, साहब तो रखेगे नही, मैं ही रखूगां। **सुरेन्द्र सिह सहमति देता है। कहता है कि चलो ठीक है।**

11. दिनांक 2.2.2022 समय 16:23:09 पर कोटियार्क इडंस्ट्री के मालिक गौरांग के मोबाइल नम्बर 9978967722 और दलाल निम्बाराम के मोबाइल नम्बर **86195–61752** पर हुई वार्तानुसार निम्बाराम कहता है, कि **मै कह रहा हॅू,एक फाइल दी है, आपकी तब गौरांग पूछता है, किसकी तब निम्बाराम कहता है, कि शेखावत जी वाले, शेखावत जी के कोई मिलने वाले थे न, लगवा दी** मैने ठीक है, सर आगे वार्ता में कहता है, ऑफिस हॅू, ऑफिस में ही हॅू, और वो रसीद कटवा दी मैने और जमा करवा दी, गौरांग ओके कहता है।

12. दिनांक 5.2.22 समय 18:44:19 पीएम पर दलाल निम्बाराम के मोबाइल नम्बर **86195–61752** एवं घनश्याम के मोबाइल नंम्बर 94142–34563 (मैसर्स हिमालयन एंटरप्राईजेज बायो ईधन पम्प संचालक) पर हुई वार्तानुसार घनश्याम निम्बाराम से पूछता है, क्या मंगलवार की बात हुई क्या शेखावत साहब से तब निम्बाराम कहता है, कि शेखावत साहब तो डेली मर्जी आये मैने तो कहा कि आ जाओ सोमवार को तब घनश्याम पूछता है, कि मंगलवार को साहब के किसी की शादी है, क्या तब निम्बाराम कहता हॉ, साहब के है, साहब सात तारीख को सुबह सोमवार को आ जायेगे वो तो घनश्याम दुबारा पूछता है, सोमवार को आ जायेगे। आगे वार्ता में घनश्याम कहता है, कि मंगलवार को आ जाये हम, तब निम्बाराम कहता है, बिलकुल आ जाओ। घनश्याम कहता है, कि शेखावत साहब आगे–आगे खिसकाते रहते है, नही यदि वो मंगलवार को भी आना–कानी करेगें आयेगे तो मै अकेला आ जाऊगां आपके पास **इसी कम में घनश्याम निम्बाराम को मंगलवार को सुबह साथ चलने की कहता है।**

उपरोक्त कम सख्या 9,10,11 व 12 में उल्लेखित वार्ताओं से प्रकट होता है कि घनश्याम को बायो फ्यूल पम्प का लाईसेंस दिलाने हेतु द्वारा राजसिह शेखावत द्वारा निम्बाराम से सम्पर्क किया जाता है। निम्बाराम द्वारा इस विषय में सुरेन्द्र सिह राठौड से सम्पर्क किया जाने पर उसके द्वारा सप्लायर की औपचारिता श्री गौरांग से करवाने हेतु कहा जाता है। श्री शेखावत द्वारा सुरेन्द्र सिह व निम्बाराम के द्वारा की गयी 5 लाख की मांग के अनुसरण में 4 लाख रूपये पहुॅचाना तथा इस पर सुरेन्द्र सिह द्वारा एक बार निम्बाराम को नाराजगी प्रकट कर काम करने से मना करना परन्तु निम्बाराम के कहने पर सहमत हो जाना प्रकट होता है। सुरेन्द्र सिह के कहे अनुसार निम्बाराम द्वारा गोरांग से हुई वार्ता कर घनश्याम के लिए लाईसेंस के काम को आगे बढाना तथा सप्लायर की औपचारिता के लिए गौरांग को सहमत कराना प्रकट होता है।

13. दिनांक 14.01.2022 समय 15:57:29 पर गौरांग शाह द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 99789–67722 से श्री मनिन्दर जीत सिह बहल डिप्टी सीईओ के मोबाइल नम्बर 9829136200 पर हुई वार्ता अनुसार लोक सेवक श्री मनिन्दर जीत सिह बहल एवं कोटियार्क इण्डस्ट्रीज के

मालिक श्री गौरांग रमेश शाह के मध्य मोबाइल पर हुई वार्ता अनुसार श्री मनिन्दर जीत सिह कहता है कि हॉ मैं कह रहा था कि दूसरा मैं गुप्ताजी को बोलूगा आज उन्होने भेजा था किसी को वो दे गये है न। गोरान कहता है ठीक है। श्री मनिन्दर जीत सिह **कहता है कि आपस से वेरीफाई करे, पूछे फोन करे तो आप बोल देना कि किसी को भिजवाया था मैने तब गोरान ओके कहता है।** श्री मनिन्दर जीत सिह **कहता है कि मैं उनको कह रहा हूं दो देके गये है, मैं उनको भेज दूंगा आज। तब गोरान कहता है एक ही –एक ही देना उनको। तब** श्री मनिन्दर जीत सिह **कहता है, हॉ उनको एक ही देना है न तब गौरान कहता है ठीक है।** श्री मनिन्दर जीत सिह **कहता है ठीक है। इस वार्ता से गौरांग व** श्री मनिन्दर जीत सिह के बीच अवैध रूप से लेन देन में सहयोग व मिलीभगत की पुष्टि होती है।

14. दिनांक 7.2.2022 समय 12:22:36 पी.एम पर लोक सेवक अजय गुप्ता द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 94143–13190 से गौरांग शाह के मोबाइल नम्बर 99789–67722 पर हुई वार्ता अनुसार गौरांग पुछता है कि क्या करना है मेरे को तब अजय गुप्ता कहता है कि पम्प वालो को बोल देना कि गाडी वहां पहुॅच जाये निम्बाराम के यहां। तब गौरांग पुछता है कब इस पर अजय गुप्ता कहता है कि तारीख दी है न 10–11 तारीख। गौरांग कहता है ठीक है। आगे वार्ता में **अजय गुप्ता कहता है कि दोनो पम्प वाले निम्बाराम के बात कर ले दूसरा वो गाडी हम जायेगे मैं बता दूगा आपको जिता खर्चा है मेरे डाल देना ये है, ठीक है।** तब गौरांग कहता है ओके। आगे वार्ता में अजय गुप्ता कहता है कि चलो यह वाला कम्पलिट कर लेते है पहले निम्बाराम को बोलना की दोनों पार्टियों को कहकर गाडिया मंगा ले, गोरांग कहता है ठीक है। तब गुप्ता कहता है ओर मैं बता देता हूं गाडी का क्या खर्चा वर्चा तब गोरांग ओके कहता है। गुप्ता कहता है या तो निम्बाराम दे देगा या आप बता देना यहा से ले लेना। तब गौरांग कहता है निम्बाराम नही पार्टिया दे देई, गुप्ता कहता है कि हमारी गाडी की कह रहा हूं, गोरांग कहता है अरे वो सब कुछ पार्टिया देगी करेगी मैं क्यू करू हमारे वहां सिस्टम बदल गया है गुप्ता जी। तब गुप्ता पूछता है क्या, **गौरांग कहता है कि जो भी खर्चा है इंस्पेक्शन वो पार्टिया देगी। गुप्ता कहता है मेरे को कौन देगा, मैं पार्टियो से थोडी मांगूगा। तब गौरांग कहता है अरे वो आपको मिल जायेगा, मैं बोल दूगां। तब अजय गुप्ता कहता है कि हूं यह है कि ठीक है न आप उनसे ले के डाल देना न, अपन दोनो की बात रह जायेगी। उक्त वार्ता से अजय गुप्ता एसीईओ, श्री गोरांग व निम्बाराम के बीच रिश्वती लेन देन प्रकट होता है।**

उपरोक्त उल्लेखित वार्ताओ एवं अन्य वार्ताओ से यह तथ्य उजागर होते हैं कि ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग (बायोफ्यूल प्राधिकरण) जयपुर के अधीन संचालित राजस्थान राज्य में बायो फ्यूल से संबंधित संचालित समस्त रिफाइनरी, पेट्रोल पम्पों द्वारा बायो फ्यूल का भण्डारण, बिक्री, वाहनो के निर्माण, लाईसेस जारी करने, रिफाइनरियो एवं पेट्रोल पम्पों की चेकिंग एव सैम्पलिंग लेने में श्री सुरेन्द्र सिह द्वारा दलालों मुख्य रूप से निम्बाराम तथा अन्य प्राईवेट व्यक्तियों से आपस में एक दूसरे से सॉठगॉठ, मिलीभगती कर अपने पद का दुरूपयोग कर बायो फ्यूल के पम्प संचालकों के लाईसेंस जारी करने की एवज में रिश्वत राशि निम्बाराम व अन्य के माध्यम से ग्रहण की जाती है एवं अन्य लोक सेवक श्री अजय गुप्ता एवं श्री मनिन्दर जीत सिह द्वारा पम्प संचालकों के बायो डीजल के वाहनों के निरीक्षण करने के नाम पर रिश्वत राशि की मांग की जाती है। बायो डीजल कर कोटियाड इण्डस्ट्रीज मालिक श्री गोरांग रमेश चद्रं शाह व निम्बाराम द्वारा बायो फ्यूल प्राधिकरण के निदेशक श्री सुरेन्द्र सिह, श्री अजय गुप्ता, श्री मनिन्दर जीत सिह से सॉठ गांठ कर स्वयं एवं अन्य के लिए अवैध सुविधा प्राप्त करने के बदले उपरोक्त अधिकारियों के लिए कमीशन के रूप में रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है इसकी एवज में बायो फ्यूल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रिफायनरी व पम्प मालिकों को अनुचित संरक्षण देना, निरीक्षण की पूर्व सूचना देना, परीक्षण के दौरान पम्प संचालकों एवं रिफायनरी मालिकों को अनुचित सहयोग किया जाता है।

श्री सुरेन्द्र सिह द्वारा अपने दलाल निम्बाराम के मार्फत घनश्याम नाम के व्यक्ति को लाईसेंस जारी करने की एवज में कोटियार्क इण्डस्ट्रीज के मालिक श्री गोरांग रमेश चन्द्र शाह एवं मध्यस्त राजसिह निवासी उदयपुर के मार्फत श्री धनश्याम को पम्प के लाईसेंस जारी करने की एवज में मिलीभगत कर अवैध रूप से अनुचित आर्थिक लाभ रिश्वत राशि पांच लाख रूपये की मांग कर 4 लाख रूपये प्राप्त करना पाया गया है एवं लोक सेवक श्री मनिन्दर जीत सिह डिप्टी सीईओ एवं श्री अजय गुप्ता एसीईओ (MIS) द्वारा पम्प संचालकों व सप्लायरों को अवैध रूप से अनुचित सुविधा देने के बदले रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत राशि ग्रहण करना पाया गया है। प्रकरण के आरोपी श्री सुरेन्द्र सिह के विरूद्ध भ्रनिब्यूरो मुख्यालय जयपुर द्वारा ट्रेप कार्यवाही कर 5 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया जा चुका है जिस पर ब्यूरो द्वारा प्रकरण सख्या 123/22 दिनांक 8.4.22 दर्ज किया जा चुका है। अतः आरोपी **1.** श्री सुरेन्द्र सिह पुत्रश्री इन्द्रसिह राठौड निवासी मकान नम्बर 32 सेण्ट्रल स्कूल एकेडमी के पास तारा नगर यमूनापथ झोटवाडा जयपुर हाल CEO ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग बायोफ्यूल प्राधिकरण जयपुर, **2** श्री मनिन्दर जीत सिह बहल पुत्रश्री के.एस. बहल निवासी मकान नम्बर 6 ख 19 जवाहर नगर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के पास, जयपुर हाल डिप्टी सीईओ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग बायोफ्यूल प्राधिकरण जयपुर **3** श्री अजय गुप्ता पुत्रश्री गया लाल गुप्ता निवासी मकान नम्बर 2 क 8 हाउसिग बोर्ड शास्त्री नगर जयपुर हाल एसीईओ (MIS) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग बायोफ्यूल प्राधिकरण जयपुर **4.** श्री निम्बाराम पुत्रश्री भगवानाराम निवासी देवासियों का वास नानण बिलाडा जोधपुर हाल मैसर्स गुंजन बायो एन्टरप्राईजेज अर्जुनपुरा खालसा तहसील पीसागन जिला अजमेर **5.** श्री गौरांग रमेश चन्द शाह निदेशक मैसर्स कोटियार्क इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड एफ–86 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया स्वरूपगंज पिण्डवाडा जिला सिरोही 6. अन्तावरोध वार्ताओं के अनुसार बायो फ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के अधिकारी/कर्मचारी व अन्य व्यक्तियो द्वारा रिश्वत राशि माग किया जाकर ग्रहण किये जाने पर अपराध अन्तर्गत धारा 7,7A,8,12 भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 व सहपठित धारा 120 बी भा.द.स. का अपराध कारित करना पाया जाता है। अतः उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(पारसमल)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
इन्टे., अजमेर।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टें., अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री सुरेन्द्र सिह CEO ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग बायोफ्यूल प्राधिकरण जयपुर, 2. श्री मनिन्दर जीत सिह, डिप्टी सीईओ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग बायोफ्यूल प्राधिकरण जयपुर 3. श्री अजय गुप्ता, एसीईओ (MIS) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग बायोफ्यूल प्राधिकरण जयपुर 4. श्री निम्बाराम पुत्रश्री भगवानाराम निवासी देवासियों का वास नानण बिलाडा जोधपुर हाल मैसर्स गुंजन बायो एन्टरप्राईजेज अर्जुनपुरा खालसा तहसील पीसागन जिला अजमेर 5. श्री गौरांग रमेश चन्द शाह निदेशक मैसर्स कोटियार्क इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड एफ-86 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया स्वरूपगंज पिण्डवाडा जिला सिरोही 6. अन्तावरोध वार्ताओं के अनुसार बायो फ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के अधिकारी/कर्मचारी व अन्य व्यक्तियो के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 131/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14.4.2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः 1162-67 दिनांक 14.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें, अजमेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।